OFFICE OF DISTRICT MAGISTRATE DARBHANGA
07 SEP 2017
7750
CONFIDENTIAL SECTION
NIC

कार्यालय
विशेष भू अर्जन पदाधिकारी
कोशी योजना, दरभंगा।

संख्या..............................   दरभंगा दिनांक..........................

आम सूचना

सतत् लीज अभिलेख सं0 10 /2016–17

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात **श्रीरामपुर उप वितरणी** निर्माणार्थ निम्न विवरणी की भूमि जो माप में **0.05 एकड़** के बराबर होता है, को बिहार रैयती भूमि लीज नीति 2014 के तहत सतत् लीज पर लिया जाना है।

श्रीरामपुर उप वितरणी निर्माणार्थ सतत् लीज (LEASE PERPETUAL) पर ली जाने वाली भूमि का ब्यौरा
मौजा का नामः–लेहरा राजस्व थाना–बहेरा न0–10 अंचल–मनीगाछी जिला–दरभंगा

खाता संख्या	प्लाट संख्या	कुल खतियानी क्षेत्र(रकबा)	अर्जन की जानेवाली भूमि की रकवा	अर्जन की जानेवाली भूमि की चौहदी	भूमि का वर्गीकरण	खतियानी रैयत का नाम	पूरा पता सहित वर्तमान रैयत का नाम	जमाबंदी संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	3290	54	0.045	द0–निज उ0–चक्रपाणी चौधरी व सियाराम चौधरी पू0– हेमकान्त राय प0–मोहन चौधरी व निलाम्बर चौधरी	धनहर–1	इन्द्रकान्त चौधरी व शिवकान्त चौधरी व शशिकान्त चौधरी पिता उमेशकान्त चौधरी एक अंश समान। कृष्णमोहन चौधरी व मोहन चौधरी पिता बाबू नारायण चौधरी ग्राम+पो0 लेहरा, मनीगाछी जिला–दरभंगा।	इन्द्रकान्त चौधरी, पिता–उमेश चौधरी ग्राम+पो0 लेहरा, मनीगाछी जिला–दरभंगा।	
244	3290	54	0.005	द0–निज उ0–चक्रपाणी चौधरी व सियाराम चौधरी पू0– हेमकान्त राय प0–मोहन चौधरी व निलाम्बर चौधरी	धनहर–1	इन्द्रकान्त चौधरी व शिवकान्त चौधरी व शशिकान्त चौधरी पिता उमेशकान्त चौधरी एक अंश समान। कृष्णमोहन चौधरी व मोहन चौधरी पिता बाबू नारायण चौधरी ग्राम+पो0 लेहरा, मनीगाछी जिला–दरभंगा।	कृष्णमोहन चौधरी पिता बाबू नारायण चौधरी ग्राम+पो0 लेहरा, मनीगाछी जिला–दरभंगा।	
		कुल=	**0.05 डी0**					

उपर्युक्त विवरणी के कॉलम 7 एवं 8 में अंकित रैयतों से अनुरोध है कि इस सूचना के प्रकाशन होने की तिथि से एक पक्ष के अन्दर बिहार रैयती भूमि लीज नीति 2014 के प्रावधानान्तर्गत सतत् लीज पर भूमि प्रदान करने एवं मुआवजा प्राप्त करने की सहमति अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाय। रैयतों को मुआवजा का भुगतान अंचल कार्यालय से निर्गत अद्यतन भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं राजस्व रसीद तथा अन्य स्वत्व संबंधी कागजातों को प्रस्तुत करने लीज डीड के निष्पादन के उपरान्त किया जायेगा। यह सूचना उन सभी हितबद्ध व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध हो। अगर किसी व्यक्ति को उपरोक्त भूमि के संबंध में कोई दावा/अपत्ति हो तो इस सूचना के समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर अपना दावा/आपत्ति लिखित रूप से साक्ष्यों के साथ **विशेष भू अर्जन पदाधिकारी कोशी योजना, दरभंगा** के कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा भविष्य में कोई दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा।

इसे महत्वपूर्ण समझा जाय।

ह0/–
विशेष भू अर्जन पदाधिकारी
कोशी योजना दरभंगा।

ज्ञापांक............................   दरभंगा दिनांक........................

प्रतिलिपिः–जनसंपर्क पदाधिकारी जल संसाधन बिहार पटना को स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ तीन प्रतियों में सॉफ्ट कॉपी सहित प्रेषित।

ह0/–
विशेष भू अर्जन पदाधिकारी
कोशी योजना दरभंगा।